न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 19/17 सन् 2017

आरसीएमएस संख्या 2017/000251

बउनवानीः—

1. कजोडी पुत्री कंवरया पत्नि कालू जाति बैरवा निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर, हाल निवासी आमली तहसील उनियारा, जिला टोंक

बनाम

1. मदन पुत्र कंवरया जाति बैरवा निवासी आलनपुर तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर
3. श्रीमति उषा देवी पत्नि श्री प्रभूदयाल बेनीवाल, जाति खटीक निवासी रामकरण जोशी स्कूल के पीछे दौसा, तहसील दौसा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 610 निर्णय दिनांक 15.1.1979 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट

2. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील रेस्पो. —1

3. श्री विनोद कुमार अग्रवाल — वकील रेस्पो— 3

—: निर्णय :— दिनांक 15.07.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 610 निर्णय दिनांक 15.1.1979 वाके ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत अपील में पक्षकारान द्वारा दिनांक 14.3.2015 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.5.2015 को तस्दीक करते हुए अपील का निस्तारण जरिये राजीनामा किया गया। किन्तु रेस्पो. संख्या 3 द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.5.2015 को माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के न्यायालय मे चुनौती दिये जाने पर माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा प्रकरण में रेस्पो. संख्या 3 को सुनवायी व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित करने बाबत इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने पर प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा मे पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त विरासत का नामा0 दर्ज करने से पूर्व मृतक कंवरया पुत्र चून्या बैरवा के विधिक वारिसान की जॉच सही तरीके से नही गयी है क्योकि अपीलान्ट मृतक कंवरया की एक मात्र पुत्री है तथा ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर के खाता संख्या 24 सम्वत् 2027 से सम्वत् 2030 की जमाबन्दी अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज हैं। मृतक कंवरया के सजरा खानदान की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि कंवरया के दो पुत्र जिसमे से एक रेस्पो. संख्या 1 मदन तथा दूसरा कजोड़ जो कि लाओलाद फोत हो गया था तथा एक पुत्री अपीलान्ट थी। किन्तु रेस्पो. संख्या 2 ने विरासत का नामा0 तस्दीक करने से पूर्व सबूत व सुनवायी का अवसर नही दिया ना ही मृतक के विधिक वारिसान की जॉच की है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट विधवा महिला है रेस्पो. संख्या 1 ने अपीलान्ट की उपेक्षा कर रखी है इसलिए पैतृक भूमि मे विरासत के आधार पर विवादग्रस्त नामा0 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को पैतृक भूमि में वैधानिक अधिकार हेतु नामा संख्या 610 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जावे। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ने दिनांक 9.8.2014 को रक्षाबंधन के अवसर पर रेस्पो. संख्या 1 से

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पिता की भूमि मे हिस्सा देने के लिए कहा तो रेस्पो. अपीलान्ट से नाराज हो गया एवं पैतृक भूमि में हिस्सा देने से मना कर दिया एवं अपीलान्ट को बेईज्जत किया गया। दिनांक 10.8.2014 को अपीलान्ट द्वारा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इकटठा किया एवं रेस्पो. संख्या 1 को काफी समझाया लेकिन रेस्पो. 1 ने हिस्सा देने से साफ इन्कार कर देने पर समाज के व्यक्तियों ने अपीलान्ट को एक पंचनामा भी लिखकर दिया है जो अपील के साथ संलग्न है। यह तर्क भी दिया कि उक्त विवादित नामा0 की भूमि को लेकर अपीलान्ट द्वारा एक दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व तकासमा अन्तर्गत धारा 88,188,53 राज.टी.एक्ट,1955 के तहत माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर तथा विक्रय पत्र दिनांक 2.9.2003 को निरस्त करवाने बाबत एक वाद पत्र माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग सवाईमाधोपुर में पेश कर रखा है। इस प्रकार विवादग्रस्त नामा0 की जानकारी होने पर दिनांक 27.6.2014 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया एवं दिनांक 15.7.2014 को नकल मिलने एवं हडताल समाप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. संख्या 1 द्वारा निवेदन किया कि अपीलान्ट मुझ रेस्पो. संख्या 1 की सगी बहिन है तथा मेरे पिता मृतक कंवरया की विरासत में से मेरे बराबर हिस्सा लेने का अधिकार होने के कारण ही मुझ रेस्पो. द्वारा बरूये राजीनामा प्रकरण का निस्तारण 18.5.2015 को करवाया गया है। अतः विवादग्रस्त नामा0 खारिज कर अपीलान्ट को भी मेरे पिता की विरासत का बराबर हिस्सा दिया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि रेस्पो. संख्या 1 व अपीलान्ट के बीच दुरूभि संधि होने के कारण दोनो ने मिलकर फर्जी दस्तावेजो की रचना करते हुए सुनियोजित षडयंत्र बनाकर न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर एक गम्भीर अपराध को परिणिती देते हुए तथ्यों को छिपाकर फर्जी राजीनामा प्रस्तुत कर राजस्व अधिकारी पटवारी तथा तहसीलदार से मिली भगत कर तथा नगरपालिका सवाईमाधोपुर व ऊषा बेनिवाल जो कि विवादग्रस्त नामा0 की आराजीयात की खातेदार है को पक्षकार नही बनाते हुए न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर में राजस्व लोक अदालत के अन्तर्गत दिनांक 18.5.2015 को निर्णय करवाया है। जिसके विरूद्व रेस्पो. संख्या 3 द्वारा माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो अपील संख्या 28/17 पर दर्जकर माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 10.10.2017 द्वारा अपील स्वीकार कर जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 18.5.2015 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान के न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि अपीलान्ट ऊषा बेनीवाल को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर तहसीलदार सवाईमाधोपुर से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट लेकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक व न्यायसंगत निर्णय पारित करे। माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के निर्णय दिनांक 10.10.2017 के विरूद्व अपीलान्ट कजोडी देवी द्वारा राजस्व मण्डल मे अपील पेश की गयी जो दिनांक 5.2.2018 को खारिज कर न्यायालय सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2017 की पुष्टि की गयी है।

यह तर्क भी दिया कि प्रकरण में सर्वप्रथम भूमि की वर्तमान स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए एवं भूमि की वर्तमान स्थिति के अनुसार ख0न0 1723/112 वर्तमान ख0न0 2755 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा पटवार क्षेत्र ग्राम आलनपुर, तहसील सवाईमाधोपुर मे स्थित है तथा आलनपुर मौहल्ले से मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर नगर पालिका सवाईमाधोपुर के पैराफेरी क्षेत्र वार्ड संख्या 18 में स्थित है। इस भूमि का खातेदार स्व. कवंरया पुत्र चून्या बैरवा निवासी आलनपुर था। कवंरया की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक वारिसान उसके दोनो पुत्र मदन व कजोड पुत्र कंवरया निवासी आलनपुर खातेदार बने है। उक्त भूमि का निपटारा व हस्तानान्तरण इस प्रकार हुआ है कि भूमि पैतृक सम्पति नही है क्योकि राजस्थान सरकार द्वारा 1962 मे कवंरया पुत्र चून्या बैरवा को कब्जे कास्त के आधार पर आवंटित की गयी थी तथा सर्वप्रथम भूमि का नामा0 146 दिनांक 17.1.1965 द्वारा कवंरया पुत्र चून्या बैरवा के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई थी। इस प्रकार उक्त भूमि कवंरया की स्वयं अर्जित भूमि नही थी।

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

यह तर्क भी दिया कि कवंरया की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन पटवारी हल्का एवं तहसीलदार ने विधिक वारिसान की पूरी तरह जॉच पडताल की तथा विधिक वारिसान की जॉच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व अभियान 1978–79 के दौरान मजमें आम में कवंरया के परिवार विधिक वारिसान, समाज के पंच पटेल छोटया आदि की उपस्थित में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो का पालन करते हुए विरासत के आधार पर भूमि का नामा0 कवंरया के विधिक वारिसान उसके दोनो पुत्रों मदन व कजोड पुत्र कवंरया के नाम नामा0 संख्या 610 दिनांक 15.1.1979 द्वारा राजस्व रिकार्ड मे वैधानिक तरीके से दर्ज किया गया इस प्रकार विरासत का मामला 1979 में ही निर्णित हो चुका था। यह तर्क भी दिया कि वर्ष 1979 से 2003 (24 वर्ष)की खातेदारी के बाद मदन व मृतक कजोड ने उक्त प्रश्नगत भूमि का विक्रय दिनांक 2.9.2003 को ऊषा बेनीवाल रेस्पो. संख्या 3 को कर दिया तथा प्राप्त राशि को आपस मे बाट लिया था तथा सभी हक अधिकारों सहित कब्जा सम्भलवा दिया था तत्पश्चात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.9.2003 के आधार पर नामा0 संख्या 1030 दिनांक 7.2.2004 द्वारा भूमि ऊषा बेनीवाल रेस्पो. संख्या 3 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है। तथा प्रार्थीया ने कब्जा प्राप्त कर जेसीबी से उक्त भूमि को समतल करवाया तथा भूमि के चारो ओर कठींले झाड व पेडो की दीवार बनवायी तथा उक्त भूमि मे गोबर की खाद इत्यादि डलवाकर उपजाऊ बनाकर फसल को पानी देने हेतु एक बोरींग तथा एक पक्का कमरा का निर्माण करवाया है तथा पहुॅच हेतु रास्ता बनवाया जाकर 2003 से 2011 तक रेस्पो. संख्या 3 ने स्वंय तथा बटाईदार के सहयोग से खेती की तथा खेती से प्राप्त आय को अपनी आयकर विवरण मे वर्षवार दर्शाया गया है। इसके पश्चात उक्त भूमि का ले आऊट प्लान /नक्शा बनाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत आवासीय कॉलोनी हैप्पी नगर के अनुमोदन हेतु पत्रावली श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष दिनांक 6.9.2010 को प्रस्तुत की जाने पर प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 29.9.2010 को स्थानीय समाचार पत्रों 90 बी की कार्यवाही से पूर्व विज्ञप्ति जारी करके व पटवारी व तहसीलदार सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 31.1.2011 को सम्परिवर्तन आदेश जारी कर उक्त भूमि को सिवायचक नगरपालिका सवाईमाधोपुर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसका नामा0 संख्या 2165 दिनांक 25.5.2011 द्वारा राजस्व रिकार्ड में राजस्थान सरकार सिवायचक नगर पालिका सवाईमाधोपुर के रिकार्ड में हैप्पी नगर आवासी कॉलोनी वार्ड नम्बर 18 के नाम पर दर्ज हुई है।

प्रस्तुत अपील पर प्रारम्भिक आपत्तिया प्रस्तुत कर तर्क प्रस्तुत किया कि सर्वप्रथम अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है क्योकि उक्त नामा0 से संबंधित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 2.9.2003 द्वारा रेस्पो.संख्या 3 द्वारा क्रय की जा चुकी है तथा हिन्दु परिवार के किसी भी सदस्य को सक्षम न्यायालय से विक्रय पत्र निरस्त करवाये बिना खातेदारी परिवर्तित कराने के लिए नामा0 की अपील पोषणीय नही है। चूंकि उक्त नामा0 सें संबंधित भूमि आबादी में संपरिवर्तित हो चुकी है तथा उक्त भूमि अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत आदेश दिनांक 31.1.2011 के प्रभावशाली रहते हुए श्रीमान के न्यायालय को प्रश्नगत अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। अर्थात स्थापित आबादी भूमि का स्वामित्व नामा0 अपील के आधार पर परिवर्तित नही किया जा सकता है। इसलिए उक्त नामा0 की उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को नही है तथा श्रीमान के न्यायालय मे लोक अदालत के समक्ष प्रथम अपील मे रेस्पो. संख्या 3 को पक्षकार नही बनाकर फ्रोडपूर्वक कार्यवाही की गयी थी तथा प्रकरण मे नगरपालिका को पक्षकार नही बनाया है इसलिए भी अपील निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि वर्ष 1965 से 2015 तक 50 वर्ष के मध्य कजोडी का नाम किसी भी भूराजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही था। इस तरह उक्त भूमि पर कजोडी का कोई भी हित पहले कभी नही था ओर आज भी नही है। कोई भी व्यक्ति जिसका रैवेन्यू रिकार्ड में कभी इन्द्राजात नही रहा हो उसके द्वारा सिविल न्यायालय से अपने अधिकारो की उद्घोषणा नही कराली जावे तब तक राजस्व न्यायालय के सुनवायी योग्य नही है।

यह तर्क भी दिया कि प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 के बिन्दु पर विचार पर नही किया गया जबकि विरासत/उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू धर्म में प्रचलित उत्तराधिकार से संबंधित मिताक्षरा विधि के तहत पुत्रों को ही उत्तराधिकारी माना जाता था।

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पुत्रियों को उत्तराधिकार के बदले उनका विवाह, दान दहेज भात जामने, रक्षा बंधन व भाई दूज पर भेट देना तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक रीतिया निभाने की परम्परा रही है। दिनांक 20.12.2004 से पूर्व किसी भी विवाहित पुत्री का उसके पिता की सम्पत्ति में बतौर उत्तराधिकारी किसी प्रकार के अधिकार नही दिये गये थे। इस असमानता को दूर करने के लिए सर्वप्रथम दिनांक 20.12.2004 को भारतीय संसद मे पुत्रियों को विरासत का हक देने के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 मे संशोधन करके पुत्रियों को भी पुत्रों के समान उत्तराधिकार दिया गया है। उक्त संशोधित अधिनियम 9.9.2005 को पारित होकर अस्तित्व में आया था परन्तु उत्ताधिकार अधिनियम,1956 की संशोधित धारा 6 की उपधारा (5) के अनुसार दिनांक 20.12.2004 से पूर्व के मामले अब विरासत के आधार पर रि–ओपन नही किये जा सकते है। कथन के समर्थन में Civil Appeal No 7217 of Prakash & ors V/s Phulavati & Ors के मामले में अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 5 में उक्त निर्णय के पैरा 22 मे उक्त तिथि दिनांक 9.9.2005 को कन्फर्म किया है तथा पैरा एन.23 में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की संशोधित धाराओं को अधिनियम के संसद में पारित होने की दिनांक 9.9.2005 से ही प्रभावी माना है। यदि हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम,2005 के पारित होने से पूर्व पिता की मृत्यु हो चुकी है तो पुत्री को उसके पिता की सम्पत्ति में अधिकार नही है। इस प्रकरण में विरासत का मामला 15.1.1979 को नामा0 खोलते समय ही अंतिम रूप से निर्णित हो चुका था इसलिए उक्त मामला विरासत की मांग के आधार पर रिओपन नही किया जा सकता है।

यह तर्क भी दिया उक्त मामले में अपीलान्ट कजोडी स्वर्गीय कवंरया की पुत्री हो सन्देहास्प्रद है। क्योकि कजोडी 15.1.1979 को नामा0 तस्दीक होने से अबतक लगभग 35 वर्ष तक चुप क्यो रही है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई विधिक सबूत यथा जन्म प्रमाण पत्र,राशनकार्ड, वोटर लिस्ट,आधार कार्ड,पेनकार्ड,पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राईविंग लाईसेंस या अन्य कोई प्रमाणित दस्तावेज भी पेश नही किया गया जिसके आधार पर उसको मृतक कवंरया की पुत्री माना जा सके। अर्थात बिना सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अथवा अन्य प्रमाणित दस्तावेज के अपीलान्ट को कवंरया की पुत्री नही माना जा सकता है।

भारतीय परिसीमा अधिनियम,1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र बिन्दुओं पर रेस्पो. संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 1 मे नामा0 संख्या 610 दिनांक 15.1.1979 ग्राम आलनपुर की प्रथम जानकारी होने का उल्लेख किया परन्तु यह नही बताया कि किस तारीख को किस माह को तथा किस तरह से और कैसे अपीलान्ट को प्रथम जानकारी हुई है। अर्थात जानकारी होने के तथ्य के अभाव में परिसीमा अधिनियम,1963 के तहत विलम्ब को क्षम्य कराने की अधिकारी नही है। कवंरया की मृत्यु के बाद समाज के पंच पटेलो तथा कवंरया के परिवार के सदस्यो की उपस्थिति मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 15.1.1979 को उक्त नामा0 तस्दीक किया है जिसकी जानकारी स्व0 कवंरया की पुत्री को होना स्वाभाविक था। किन्तु 35 वर्ष तक उक्त विरासत को किसी ने चैलेन्ज नही किया है एवं अचानक 27.6.2014 को जिला अभिलेखागार में नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 15.7.2014 को 19 दिन बाद नकल प्राप्त करने का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में किया है जो असत्य,अविश्वसनीय है तथा मनगढन्त कहानी है क्योकि नामा0 संख्या 610 मे भूमि के ख0न0 अंकित नही है इसलिए उक्त कथन साक्ष्य के अभाव में संतोषप्रद नही होने के कारण खण्डनीय है। यह तर्क भी दिया कि जब नकल 15.7.2014 को प्राप्त हो गयी थी तो 17.9.2014 को लगभग दो माह बाद न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी है तथा ऐसे मामलो में अपीलान्ट को अपील पेश करने मे हुए डिले का दिन प्रतिदिन का कारण अंकित करना चाहिए था जो उक्त अपील मे नही किया गया है मात्र वकीलों की हडताल का कारण अंकित किया है जबकि वकीलों की हडताल के दौरान सभी न्यायालय खुले रहते है जहॉ पक्षकार अपनी अपील, दावा, प्रार्थना पत्र संबंधित अधिवक्ता से तैयार करवाकर स्वंय भी पेश कर सकते है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि भारतीय परिसीमा अधिनियम,1963 के तहत अपने स्वामित्व की मांग करने की अधिकतम सीमा 12 वर्ष है। 35 वर्षो बाद अपील पेश करके वर्ष 1979 के नामा0 को गलत बताना किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नही है। उक्त विवादित नामा0 से संबंधित आराजीया को रेस्पो. संख्या 3 द्वारा दिनांक 2.9.2003 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गयी थी तथा उक्त भूमि की 90 बी की कार्यवाही करने

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

से पूर्व दिनांक 29.9.2010 को विज्ञप्ति जारी हुई। एवं समय समय पर भूमि पर खेती होती रही पानी का बोरिंग लगा, पक्का मकान बना, कॉलोनी बस गयी, लाईट लग गयी, मोरम रोड बनी, पानी की पाईप लाईन डली, रास्ते बने आदि कार्यवाही की जानकारी स्व0 कवंरया की पुत्री को होना स्वभाविक था। किन्तु तत्समय उसके द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी। वर्तमान मे उक्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी हैप्पी नगर बसा हुआ है। इस प्रकार उक्त भूमि मृतक कवंरया से रेस्पो. संख्या 1 मदन व कजोड के नाम आने तथा उनके द्वारा रेस्पो. संख्या 3 को विक्रय करने उसके बाद आवासीय कॉलोनी में भूमि की किस्म परिवर्तन होने इत्यादि की सम्पूर्ण जानकारी अपीलान्ट को थी किन्तु जमीन की दरो मे वृद्वि हो जाने के कारण अपीलान्ट व रेस्पो.1 आपसी सुनियोजित षडयंत्र पूर्वक माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर बेईमानी पूर्व मिलभगत से अपील में राजीनामा प्रस्तुत किया जो विधिक व्यवस्थाओं के विरूद्व है। अतः प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी के अनुसार नामा0 संख्या 2393 दिनांक 11.3.2016 एवं संबंधित जमाबन्दी को निरस्त करने के आदेश प्रदान कर राजस्व अभिलेख में पूर्व के अंकन नामा0संख्या 2165 दिनांक 25.5.2011 एंव जमाबन्दी संख्या 439 जो कि नगरपालिका सवाईमाधोपुर के नाम है पुर्नस्थापित करें एवं अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने सै भी निरस्त किये जाने बाबत वकील रेस्पो. संख्या 3 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि अपीलान्ट एवं रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दिनांक 14.3.2015 को प्रस्तुत राजीनामें को वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना ही दिनांक 18.5.2015 को तथ्य छिपाकर तस्दीक करवाया गया है क्योंकि विवादित नामा0 सें संबंधित आराजीयात को रेस्पो. संख्या 1 द्वारा रेस्पो. संख्या 3 को दिनांक 2.9.2003 को विक्रय किया जा चुका था जिसका नामा0 1030 दिनांक 7.2.2004 को रेस्पो0 संख्या 3 के पक्ष मे खोला जाकर उसका नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो चुका था उसके पश्चात उक्त विवादित नामा0 से संबंधित आराजीयात की किस्म परिवर्तन करवाने हेतु रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा दिनांक 6.9.2010 को प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के तहत कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 29.9.2010 को स्थानीय समाचार पत्रों में 90 बी की कार्यवाही से पूर्व विज्ञप्ति जारी करवायी जाकर तत्कालीन पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.1.2011 को उक्त भूमि को आवासीय भूमि मे सम्परिवर्तन करने के आदेश जारी कर उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक घोषित करते हुए नगरपालिका के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाने पर नामा0 संख्या 2165 दिनांक 25.5.2011 को राजस्व रिकार्ड मे उक्त भूमि राजस्थान सरकार सिवायचक नगरपालिका सवाईमाधोपुर गैर मुमकिन आबादी के नाम दर्ज होकर नगरपालिका के रिकार्ड में हैप्पी नगर आवासीय कॉलोनी वार्ड नम्बर 18 के नाम पर दर्ज हुई थी जिसमे रेस्पो. संख्या 3 द्वारा प्लाट काट कर विक्रय किये जाने पर कई व्यक्तियों द्वारा अपने मकान बना लिये गये। इस प्रकार विवादित नामा0 सें संबंधित आराजीयात के तत्समय खातेदार रेस्पो.संख्या 3 को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलान्ट ने मात्र रेस्पो. संख्या 1 को पक्षकार बनाया है जो तत्समय उक्त भूमि का खातेदार नही होने के कारण उसको दीगर खातेदार की भूमि पर राजीनामा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। इस प्रकार अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 द्वारा दिनांक 18.5.2015 को राजीनामा तथ्य छिपाकर एवं न्यायालय को गुमराह कर तस्दीक करवाया गया है जो विधिविरूद्व होने की श्रेणी मे आता है। भारतीय परिसीमा अधिनियम,1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के जवाब में अंकित बिन्दुओं पर रेस्पो. संख्या 3 के अधिवक्ता का यह तर्क भी उचित प्रतीत होता है कि अपीलान्ट द्वारा नामा0 संख्या 610 दिनांक 15.1.1979 वाके ग्राम आलनपुर की प्रथम जानकारी होने का उल्लेख किया गया है परन्तु उसने यह नही बताया कि किस तारीख को किस माह को तथा किस तरह से और कैसे अपीलान्ट को प्रथम जानकारी हुई है। जबकि उक्त भूमि की 90 बी की कार्यवाही से पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी होना, इसके बाद उक्त भूमि पर कॉलोनी बन जाना इत्यादि के उपरान्त भी अपीलान्ट की जानकारी मे नही आना असंभव प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त नकल प्राप्त करने से 2 माह बाद अपील प्रस्तुत करने व अपील प्रस्तुत करने मे हुए देरी का दिन प्रतिदिन का कारण अंकित

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नही करने से भी अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने की पुष्टि होती है तथा अपीलान्ट भारतीय परिसीमा अधिनियम,1963 के तहत विलम्ब की अवधि को क्षम्य कराने की अधिकारी नही है।

विवादित नामा0संख्या 610 दिनांक 15.1.1979 से संबंधित आराजीयात के संबंध मे वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर से प्राप्त की जिसके अनुसार ग्राम आलनपुर के साबिक ख0न0 1723/112 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा कंवरया पुत्र चून्या बैरवा के नाम दर्ज थी कवंरया के फोत होने पर विरासत से मदन व कजोड के नाम दर्ज हो गयी। खातेदार मदन व कजोड द्वारा उक्त भूमि का बेचान उषा बेनीवाल पत्नि प्रभूदयाल जाति खटीक को किया जाना बताया गया। उक्त ख0न0 के वर्तमान ख0न0 2755 रकबा 1.16 है0 जो जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 मे सिवायचक नगरपालिका सवाईमाधोपुर के नाम दर्ज होना बताया गया है तथा नामा0 संख्या 2393 दिनांक 11.3.2016 से मदन पुत्र कंवरया व कजोडी पुत्री कंवरया बैरवा के नाम स्वीकार होना बताया गया है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर पक्के मकान बने होना तथा 1/2 हिस्सा खाली होना अपनी रिपोर्ट मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अंकित किया है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मे तत्समय के मूल खातेदार रेस्पो. संख्या 3 को पक्षकार नही बनाने तथा मूल खातेदार की जानकारी मे लाये बिना राजीनामा प्रस्तुत कर दिनांक 18.5.2015 को तस्दीक करवाने के संबंध में कोई युक्तिसंगत कारण पेश नही किया गया। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट के अनुसार उक्त विवादित नामा0 से संबंधित आराजीयात को लेकर एक दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व तकासमा अन्तर्गत धारा 88,188,53 राज.टी. एक्ट,1955 के तहत माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर तथा विक्रय पत्र दिनांक 2.9.2003 को निरस्त करवाने बाबत एक वाद पत्र माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग सवाईमाधोपुर में विचाराधीन है। जिनमे संबंधित माननीय न्यायालयो द्वारा मेरिट पर निर्णय पारित किया जाना है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 610 दिनांक 15.1.1979 वाके ग्राम आलनपुर को यथावत रखा जाता है। तथा इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 18.5.2015 की पालना में तस्दीक किया गया नामा0 संख्या 2393 दिनांक 11.3.2016 को निरस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख में पूर्व के अंकन नामा0 संख्या 2165 दिनांक 25.5.2011 की स्थिति पुर्नस्थापित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: